

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र०
एवं
अध्यक्ष,
उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र।

पत्र सं० 181/इ.स.ई.-3/2017

दिनांक: 27/04/17

विषय: नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षणों में द्यूशन फीस के संबंध में।

महोदय,

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पत्र सं० 7002/16 दिनांक 18.07.2016 के द्वारा सूचित किया गया था कि शासी समिति के निर्णय के अनुसार प्रशिक्षणों की द्यूशन फीस डेढ़ गुनी कर दी गयी है। इस निर्णय में यह स्पष्ट करना है कि यह द्यूशन फीस केवल सत्र 2016-17 एवं उसके बाद प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पर लागू होगी।

जिन प्रशिक्षण केन्द्रों ने उक्त द्यूशन फीस नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रों से ली गयी है, उन्हें तत्काल वापस कर इस कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों की सम्यक्ता उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा समाप्त की जा सकती है।

भवदीय,



(डा० वी०एन० त्रिपाठी)

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र०

